The Dialogue™
INFORM ENGAGE IDEATE

व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2019 का सार

भू-राजनीतिक प्रभाव

1. परिचय

डेटा और तेल की अक्सर अवांछित तुलनाओं ने एक अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद की है - कि डेटा व्यापक भू-राजनीतिक प्रभावों के साथ एक वैश्विक वस्तु है। भौगोलिक सीमाओं के पार डेटा कैसे एकत्र, संग्रहीत, संसाधित और स्थानांतरित किया जाता है, यह विदेश नीति में चर्चा का विषय बन गया है। हालाँकि, वैश्विक स्तर पर डेटा नियमन एक नवजात अवस्था में है, जिसमें विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में डेटा को विनियमित करने के तरीके में निरंतर झड़पें होती हैं। डेटा का विनिमियन भी कई मुद्दों पर प्रभाव डालता है, जैसे की गलत सूचनाओं से निपटना, नागरिकों को कथित नुकसान से बचाना, और जब ये नुकसान होते हैं तो निवारण प्रदान करना। इन कारणों से इसका महत्व बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेटा नियमन के लिए देश विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने लगे है।

भारत वैश्विक अंकीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। एक मजबूत डेटा सुरक्षा ढांचा स्थापित करने के हमारे शुरुआती प्रयास, वैश्विक बाजार में, और हमारी आर्थिक संभावनाओं में, हमें एक राष्ट्र के रूप में कैसी पहचान दिलाते है, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 500 बिलियन डालर जोड़ने की उम्मीद है। साथ ही, यह देखते हुए कि भारत उपयोगकर्ता डेटा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, डेटा प्रसंस्करण के लिए जाने-माने गंतव्य होने के साथ-साथ, भारत के ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप संरेखित और काम करना चाहिए।

यह लेख व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2019 के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालेगा, जिसका भू-राजनीतिक रूप से महत्व होगा, और इस संबंध में कुछ कमियों से निपटने के लिए सिफारिशें देगा।

प्रमुख पहलू और सिफारिशें

1. गैर-व्यक्तिगत डेटा को विधेयक के दायरे में शामिल करना

डेटा सुरक्षा विधेयक, भारत सरकार को "अंकीय अर्थव्यवस्था के लिए नीतियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कार्य" करने की शक्ति देता है, जिसकी व्याख्या अज्ञात डेटा या गैर-व्यक्तिगत डेटा के विनियमन को भी शामिल करने के लिए की गई है। इसके अलावा, केंद्र सरकार को किसी भी डेटा प्रत्ययी/डेटा प्रसंसक को गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रदान करने का निर्देश देने का भी अधिकार देता है, ताकि 'सेवाओं के वितरण के बेहतर लक्ष्यीकरण या साक्ष्य-आधारित नीतियों के निर्माण को सक्षम किया जा सके। गैर-व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा विधेयक में इस प्रकार है कि 'व्यक्तिगत डेटा के अलावा अन्य डेटा' गैर-व्यक्तिगत डेटा है जो इस शब्द की व्यापक व्याख्या के लिए जगह प्रदान करता है।

ये मौजूदा व्यावसायिक प्रथाओं को कमजोर करते हैं जिसमें डेटा प्रसंसक अनुबंधित रूप से डेटा प्रत्ययी द्वारा बाध्य होता है, और डेटा (व्यक्तिगत या गैर-व्यक्तिगत) या किसी भी अंतर्दृष्टि को साझा नहीं कर सकता है, क्योंकि वे डेटा प्रसंसक के ग्राहक से संबंधित हैं, जिसकी ओर से डेटा प्रसंसक इकाई निर्देश और अनुबंध के अनुसार डेटा प्रसंस्करण गतिविधियों का संचालन करती है। इसका भारत में डेटा प्रसंसक कंपनियों के ग्राहकों और विदेशी नागरिकों के व्यावसायिक विश्वास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे डेटा तक भारत सरकार की पहुंच से आशंकित होंगे।

इस तरह के प्रावधान, भारत में निवेश करने के इच्छुक विदेशी भागीदारों की ओर से भारत में नवाचार और निवेश को हतोत्साहित कर सकता है, क्योंकि सरकार गैर-व्यक्तिगत डेटा के साथ-साथ अज्ञात व्यक्तिगत डेटा मांग रही है। इस बात की भी चिंता है कि विधेयक के तहत व्यापार-संवेदनशील जानकारी, व्यापार रहस्य सहित, मांगी जा सकती है (जैसा कि हमारे व्यापार विचार लेख में चर्चा की गई है)। जैसा कि डेटा को "डेटा से एकत्रित अंतर्दृष्टि" को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, सरकार द्वारा डेटा तक इस तरह की पहुंच कंपनियों और अन्य व्यवसायों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करेगी। इस के तहत डेटा प्रत्ययी और डेटा प्रसंसक के दायित्वों के नियंत्रण को दरकिनार करने की संभावना बढ़ाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बीच फिर से झिझक हो रही है।

इसके अतिरिक्त, पीडीपी विधेयक में प्रावधानों के माध्यम से मांगे गए ऐसे डेटा की सुरक्षा या गोपनीयता के संबंध में चिंताएं हैं, क्योंकि विभिन्न डेटा का संयोजन प्रकटीकरण सम्बंधित आशंका पैदा करता है।

हमारी सिफारिशें

गैर-व्यक्तिगत डेटा के शासन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में इसके उपयोग को देखने के लिए सरकार श्री क्रिस गोपालकृष्णन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति के साथ काम कर रही है। हम पिछले लेख से अपने सुझाव को दोहराते हैं कि गैर-व्यक्तिगत डेटा विनियमन व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के दायरे से बाहर है।

इस उद्देश्य के लिए,सांसद और सरकार, यूरोपीय संघ के डेटा अभिशासन अधिनियम में परिकल्पित, कंपनियों के साथ स्वैच्छिक साझाकरण तंत्र विकसित करने के कदम से प्रेरणा ले सकते हैं।

2. विधेयक के तहत डेटा स्थानीयकरण अधिदेश

डेटा स्थानीयकरण किसी देश की सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से मौजूद किसी भी उपकरण पर डेटा संग्रहीत करने का कार्य है। एक डेटा स्थानीयकरण शासन सीमा पार डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध भी लगाता है। विधेयक के अनुसार, भारत में सभी व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति संग्रहीत करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है।

हालाँकि, संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति भारत में संग्रहीत की जानी चाहिए। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को कुछ स्थितियों में भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को केवल भारत में संसाधित किया जा सकता है, और भारत सरकार व्यक्तिगत डेटा की श्रेणियों को अधिसूचित करेगी जो 'महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा' के रूप में मानी जाएगी। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को निर्दिष्ट सीमित आधारों पर भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है।

डेटा के प्रवाह पर प्रतिबंध एक खरब-डॉलर की अंकीय अर्थव्यवस्था को सक्षम करने के उद्देश्य को प्रभावित करेगा। द डायलॉग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यह बताया गया कि सीमा पार डेटा प्रवाह अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मौलिक है। रिपोर्ट बताती है कि स्थानीयकरण में औसत भारतीय कर्मचारी के वेतन का 11% तक खर्च हो सकता है। इकरीयर का अनुमान है कि सीमा पार डेटा प्रवाह में 1% की भी गिरावट से व्यापार की मात्रा में 696.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आएगी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा (जैसे वित्तीय विवरण) आपस में जुड़े हुए हैं, और स्थानीयकरण नीति का डेटा के सभी रूपों पर प्रभाव पड़ता है। डेटा पृथक्करण से ऊपरी लागत बढ़ती है और अतिरिक्त तकनीकी लागत भी आती है।

इसके अलावा, महत्वपूर्ण और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की रूपरेखा को मूल कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, और केंद्र सरकार के साथ इसका दायित्व अस्पष्टता को आमंत्रित करता है।

हमारी सिफारिशें

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार कठोर डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं पर विचार करने से पहले डेटा स्थानीयकरण के आर्थिक प्रभावों को समझने के लिए लागत-लाभ विश्लेषण करने का प्रयास करे। इसके अतिरिक्त, सरकार के लिए डेटा स्थानीयकरण आवश्यकता पर पुनर्विचार करना और इसके बजाय एक बहुपक्षीय या द्विपक्षीय ढांचा विकसित करने का लक्ष्य होना चाहिए जो डेटा तक पहुंच और साझा करने के मामले में डेटा के सीमा पार प्रवाह को नियंत्रित करता है। यूरोपीय संघ - अमरीका गोपनीयता कवच, कन्वेंशन १०८ या अपेक - सीबीपीआर गोपनीयता तंत्र की तर्ज पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रास्ते, सरकार को विश्व स्तर पर अन्य क्षेत्राधिकारों के बराबर होने के साथ-साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, सरकार को कानून प्रवर्तन के लिए डेटा तक पहुंच प्राप्त करने हेतु क्लाउड अधिनियम के माध्यम से अमेरिकी सरकार के साथ एक द्विपक्षीय व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए।

3. भारतीय ढांचे की अंतर्संचालनीयता

अंकीय परितंत्र में अंतर्संचालनीयता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डेटा से लाभ तब अधिकतम होता है जब वह खोजने योग्य, पाने योग्य, अंतर्संचालनीय, और पुनः उपयोग करने लायक होता है। अपने अंकीय कार्यावली में, यूरोपीय संघ आयोग ने अंकरूपण के " गुणी चक्र" के लिए सात "सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं" में से एक के रूप में अंतर्संचालनीयता की कमी की पहचान की है। हालांकि, अंकीय परितंत्र में अंतर्संचालनीयता को महत्व देते हुए, इस बात से अवगत रहना चाहिए कि अंतर्संचालनीयता किसी परितंत्र की बेहतर दक्षता हासिल करने का एक साधन है, लेकिन कुछ लागतों के साथ आता है।

डेटा अंतर्संचालनीयता: अंतर्संचालनीयता ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझाकरण को सक्षम करने के लिए, आसान डेटा हस्तांतरण संलेख के साथ, मानकीकृत प्रतिमान में, डेटा को प्रस्तुत या संग्रहीत करके उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करती है। हालांकि अंतर्संचालनीयता प्राप्त करने से संस्थानों और संस्थाओं को लागत लग सकती है, इसके दीर्घकालिक भुगतान यह सुनिश्चित करते हैं कि लागत और लाभ के बीच समन्वयन उचित है।

डेटा सुरक्षा के संदर्भ में, अंतर्संचालनीयता डेटा के गठजोड़ और मुक्त प्रवाह के लिए एक पूर्व शर्त है जो डेटा-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए डेटा-संचालित नवाचार के लिए भी। इसके अलावा, डेटा-आधारित अर्थव्यवस्था में, अंतर्संचालनीयता और सुवाह्यता भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाएगी, क्योंकि यह बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए वैकल्पिक प्रस्तावों का पता लगाने के लिए, डेटा प्रतयियो को प्रेरित करेगी। इसके परिणामों में से एक, गोपनीयता सुरक्षा उपायों में, नवाचार के माध्यम से, बेहतर उपभोक्ता संरक्षण हो सकता है।

इसके अलावा, अंतर्संचालनीयता और सुवाह्यता प्रवेश के लिए बाधा कम कर सकती है (नेटवर्क प्रभाव को तोड़कर), जो बदले में, पैठ बढ़ा सकती है। इससे, बाजार में अधिक व्यवसायों के उभरने के साथ-साथ अप्रयुक्त भौगोलिक क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता भी बढ़ सकेगी।

डेटा हस्तांतरण तंत्र: भारत सरकार लंबे समय से अंतर्संचालनीयता के उद्देश्य से प्रेरित रही है। हालाँकि, भारत में, डेटा हस्तांतरण के मामले में वैश्विक कानूनों के साथ अंतर्संचालनीयता कहीं भी नहीं देखी जा सकी है। सरकार अक्सर उपभोक्ता की पसंद, उपयोग में आसानी, सामग्री तक पहुंच, विविधता आदि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में अंतर्संचालनीयता के लाभ की अनदेखी करती है। यह नवाचार, प्रतिस्पर्धा, पहुंच, खुलेपन और लचीलेपन को चलाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में, एक गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य अभिलेख तक पहुंचने में, अंतर्संचालनीयता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यहां तक कि इलाज के लिए रोगी के विदेशी स्थानांतरण के मामले में भी, स्वास्थ्य अभिलेख साझा करने के मामले में सरकार के बीच एक अंतर्संचालनीयता ढांचा महत्वपूर्ण हो सकता है।

हमारी सिफारिशें

हालांकि भारत अपने डेटा सुरक्षा ढांचे और प्रणालियों को विकसित करने के शुरुआती चरण में है, लेकिन दुनिया के साथ मजबूत अंतर्संचालनीयता ढांचा विकसित करने की गुंजाइश है। सरकार को इस चरण में ही उन सिद्धांतों को कानून में शामिल करने के लिए अन्य अधिकार क्षेत्रों से सबक का लाभ उठाना चाहिए।

4. भारत में एक स्वतंत्र डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना

डेटा अभिशासन मानदंड और राष्ट्र के ढांचे आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं दुनिया भर में व्यापार-संबंधी वार्ताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें देश अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा की मांग करते हैं क्योंकि यह सीमाओं के पार जाता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के जीडीपीआर के अनुच्छेद 45(2)(बी) के लिए यूरोपीय आयोग को एक देश के लिए पर्याप्तता परीक्षण प्राप्त करने हेतु एक स्वतंत्र डेटा सुरक्षा प्राधिकरण के अस्तित्व और कामकाज पर विचार करने की आवश्यकता है। यह तेजी से देखा गया है कि डेटा सुरक्षा प्राधिकरण सीमाओं के पार डेटा साझा करने और उसी के संचालन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत को समान स्तर पर बातचीत करने और प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए, हमें एक मजबूत डेटा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए।

हमारी सिफारिशें

हम डेटा के लिए एक अलग और स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना की अनुशंसा करते हैं जो सरकार की ओर से किसी भी अनुचित प्रभाव से मुक्त हो, या तो नियुक्ति के रूप में या वित्तीय निर्भरता के माध्यम से कार्य करने के मामले में।

5. निगरानी से बचाव के उपायों का अभाव और विधेयक के प्रावधानों से केंद्र सरकार की छूट

भारत के प्रस्तावित ढाँचे में एक बड़ी कमी यह रही है कि निगरानी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही उनसे बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को प्रावधानों के माध्यम से और बढ़ा दिया गया है जो केंद्र सरकार को खुद को और संबद्ध निकायों को प्रस्तावित ढांचे के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देता है। समान गतिविधियों के प्रति अप्रभावी सुरक्षा उपाय, या सीमाओं के पार डेटा की निरंतर सुरक्षा की अनुपस्थिति, ने देशों को एक-दूसरे की डेटा सुरक्षा प्रणालियों को पहचानने, और उनके बीच डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने, के सन्दर्भ में असहमति का कारण बना दिया है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय न्यायालयों द्वारा हाल ही में श्रेम्स II के फैसले में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान कानूनी प्रणाली उनकी सरकार और उनके राष्ट्रीय निगरानी बुनियादी ढांचे द्वारा डेटा तक पहुंच के मामले में अपर्याप्त बचाव प्रदान करती है, जिसके कारण यूरोपीय संघ ने अपनी पर्याप्तता की मान्यता को वापस ले लिया (यूरोपीय संघ कि एक गैर-यूरोपीय संघ के देश में डेटा के स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण की सुविधा के लिए पर्याप्त स्तर की डेटा सुरक्षा के निर्धारण के सन्दर्भ में)। डेटा प्रसंसक और भंडारण के लिए एक आकर्षक गंतव्य बने रहने के लिए, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो।

हमारी सिफारिशें

हम अनुशंसा करते हैं कि भारत पर्याप्त सुरक्षा उपायों और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने वाली एक उचित प्रक्रिया के साथ जल्द से जल्द एक निगरानी ढांचा तैयार करे और सुनिश्चित करे कि दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है।

पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा देखे जाने वाले शीर्ष 10 थिंक टैंकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

21वीं सदी में तेजी से तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अनूठी समस्याओं को हल करने के लिए 'डायलॉग' भारत में सुसंगत सार्वजनिक नीति प्रवचन बनाता है। 'डायलॉग' का मिशन लोगों के लिए नीति लाना है और बाद में उन्हें उन मुद्दों से जोड़ना है जो आज की दुनिया में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सूचित जनमत और नागरिक भागीदारी के माध्यम से सुधारों को चलाने का दीर्घकालिक उद्देश्य है।

The Dialogue™
INFORM ENGAGE IDEATE

अधिक जानने के लिए
www.thedialogue.co पर जाएं,
या मेल करें info@thedialogue.co